

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 71/14 वाद पत्र

- 1-मोनु पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 2-आसु उर्फ आशिष पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-गुड्डी देवी पत्नि स्व० सत्यनारायण सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 4-राजु पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु नाबालिग बविलायत माता गुड्डी देवी पत्नि स्व० सत्यनारायण सुनार नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-लोकेश पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु नाबालिग बविलायत माता गुड्डी देवी पत्नि स्व० सत्यनारायण सुनार नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादीगण

बनाम

- 1-जगदीश पिता घिसा सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 2-हंजा देवी बेवा घिसा सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 3-लैण्ड हॉल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा, 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 26.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोट में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.07.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त आधिपत्य एवं स्वामित्व की शामिलता खालेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 106 में अंकित आराजी संख्या 761 रकबा 0.05 हे०, 762 रकबा 1.70 हे०, 826 रकबा 0.02 हे०, गै०मु० आचा 827 रकबा 0.21 हे०, कुल किता 4 कुल रकबा 1.98 हे० में वादीगण का 1/3 हिस्से एवं चाह संख्या 826 को सामलाती रखते हुए तथा प्रत्येक आराजी तक आवागमन के रास्ते को सामलाती रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। जिसकी पालना में दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि वादीगण मोनु, आसु, राजु, लोकेश पिता सत्यनारायण ना.बा.ब.वि. माता गुड्डी देवी पत्नि सत्यनारायण सुनार का 1/3 हिस्सा आता है। प्रार्थिया गुड्डी पत्नि सत्यनारायण इस खाते में 1/2 हिस्सा बटवाड़े में लेना चाहती है। प्रार्थिया 1/3 हिस्से का बटवाड़ा नहीं करवाना चाहती है। अतः बटवाड़ा किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद पत्र को खारिज किया जाना याचोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादिया बटवाड़ा नही करवाना चाहती है अतः वादिया का वाद पत्र खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.

26/5/17

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 71/14 वाद पत्र

- 1-मोनु पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 2-आसु उर्फ आशिष पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 3-गुड्डी देवी पत्नि स्व० सत्यनारायण सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 4-राजु पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु नाबालिग बविलायत माता गुड्डी देवी पत्नि स्व० सत्यनारायण सुनार नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-लोकेश पिता स्व० सत्यनारायण सुनार आयु नाबालिग बविलायत माता गुड्डी देवी पत्नि स्व० सत्यनारायण सुनार नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादीगण


बनाम

- 1-जगदीश पिता घिसा सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 2-हंजा देवी बेवा घीसा सुनार आयु वयस्क नि० कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 3-लैण्ड हॉल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)
- 4-शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण


वाद पत्र अंतर्गत धारा, 53, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार वादिया बटवाड़ा नही करवाना चाहती है अतः वादिया का वाद पत्र खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।


साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 26.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
26/5/17